

टाप शीट

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/52

लागू करने की तिथि : 21.10.12

पन्तनगर-किच्छा स्टेशन के मध्य समपार फाटक की संख्या एवं किमी० में परिवर्तन किये जाने के कारण पन्तनगर स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/52 दिनांक 2.4.2012 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 17.10.12 संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया है।

सामान्य भाग –

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1 एस०आई०पी० एवं आर०डी० संशोधित।
2. पृष्ठ संख्या 3 पैरा 2.6 (i) समपार फाटक की संख्या एवं किमी० संशोधित।
3. पृष्ठ संख्या 8 पैरा 4.6 वीडर काउन्टर वीडर काउन्टर ब्लाक यन्त्र तथा एक्सल काउन्टर संशोधित।
4. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 5 (v, vi) समपार फाटक की संख्या संशोधित।
5. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6 (झ) संशोधित।
6. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.2 (घ) समपार फाटक की संख्या संशोधित।
7. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.6 (घ) समपार फाटक की संख्या संशोधित।
8. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 6.6 (i) (घ) समपार फाटक की संख्या संशोधित।
9. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 7 संशोधित।
10. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 7.1 संशोधित।
11. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 8.3 (v) संशोधित।

परिशिष्ट क –

1. पृष्ठ संख्या 1 से 11 तक समपार फाटक की संख्या एवं किमी० तथा सिगनल का किमी० संशोधित।

परिशिष्ट क-1 –

1. पृष्ठ संख्या 1 से 10 तक समपार फाटक की संख्या एवं किमी संशोधित।

परिशिष्ट ख –

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1.1, 1.2, 1.3 एस०आई०पी० एवं आर०डी० पी०डी० संशोधित।
2. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 8 वीडर काउन्टर ब्लाक यन्त्र तथा एक्सल काउन्टर संशोधित।
3. पृष्ठ संख्या 17 पैरा 11 (iv, v) समपार फाटकों की संख्या एवं किमी० संशोधित।
4. आर०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2011/आर०डी०/1 Alt 'A' दिनांक 17.1.2012 को आर०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2011/आर०डी०/1 Alt 'B' दिनांक 18.9.12 द्वारा बदला गया।
5. पी०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2011/पी०डी०/2 Alt 'A' दिनांक 17.1.2012 को पी०डी० संख्या उपमुसिदूर्ई/नि/IZN/2011/पी०डी०/2 Alt 'B' दिनांक 18.9.12 द्वारा बदला गया।

(के०एस०सोनाल)
मं०परि०प्र० / इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मं०सि०दूर्ई० / इज्जतनगर

(बालक राम)
मं०सि०दूर्ई० / नि० / लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

पूर्वोत्तर रेलवे

संख्या-इज्जतनगर/52

इज्जतनगर मण्डल

पन्तनगर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि
लागू तिथि
पुनरीक्षण तिथि

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक III
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/52 दिनांक 18.6.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी०एस०टी०ई०/नि/पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/ IZN/ PBW/ SIP/2011/ VER-ZERO/2 Alt B पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 1 दिनांक 15.9.2011 आल्टरेशन ‘बी’ दिनांक 18.9.2012 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटों तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

पन्तनगर स्टेशन बरेली- लालकुआ जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली जं० से 77.64 किमी० तथा लालकुआ जं० से 6.44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

किच्छा (पश्चिम दिशा में) 11.26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

लालकुआ (पूर्व दिशा में) 6.44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(के०एस०सोनाल)
मं परि०प्रबन्धक/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

**पन्तनगर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)**

जारी तिथि 2.4.2012
लागू तिथि 28.8.2012
पुनरीक्षण तिथि April-17

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक III
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

टिप्पणी : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/52 दिनांक 18.6.2009 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी०एस०टी०ई०/नि/पूर्वोत्तर रेलवे / गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/ IZN/ PBW/ SIP/2011/ VER-ZERO/2 पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 1 दिनांक 15.9.2011 आल्टरेशन ‘ए’ दिनांक 17.1.2012 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलों तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

पन्तनगर स्टेशन बरेली- लालकुआ जं० मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन बरेली जं० से 77.64 किमी० तथा लालकुआ जं० से 6.44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

किच्छा (पश्चिम दिशा में) 11.26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

लालकुआ (पूर्व दिशा में) 6.44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति** :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

(iii) हाल्ट स्टेशन :- कोई नहीं।

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
पन्तनगर-लालकुआ	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (पन्तनगर)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (लालकुआ)
पन्तनगर - किच्छा	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (पन्तनगर)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (किच्छा)

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) : कोई नहीं

2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

अभिन्यास केवल 4 लाइनो का है। लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 परिचालित लाइने है।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सीएसआर)	टिप्पणी
1	720.00 मीटर	लूप लाइन प्लेटफार्म सहित
2	720.00 मीटर	मेन लाइन
3	720.00 मीटर	लूप लाइन प्लेटफार्म सहित
4	720.00 मीटर	लूप लाइन प्लेटफार्म सहित

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है। परिचालित लाइन सं० 1, 2, 3 एवं 4 ट्रेक सर्किटेड है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. अपरिचालित लाइने एवं उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :

इस स्टेशन पर कोई अपरिचालित लाइन नहीं है।

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं : कुछ नहीं।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/52

पन्तनगर

2.6. **समपार फाटक :**

i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशि त है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
--- कोई नहीं ---						
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
46 -Spl	पन्तनगर - किच्छा के मध्य किमी० सं० 56/2-3	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
47 -C	पन्तनगर - किच्छा के मध्य किमी० सं० 57/8-9	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-1' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों किच्छा तथा लालकुआ से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
टेलीफोन युक्त डायडो टाइप टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सल आउन्टर के साथ किच्छा तथा लालकुआ स्टेशनों से समान प्रकार के ब्लाक यन्त्र के सथा अलग-अलग सम्बन्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।

(सहायक नियम 14.02(v) साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें)।

(के०एस०सोनाल)
मं परि०प्रबन्धक/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदुई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदुई/नि/लखनऊ

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

गेट सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशि त है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
--- कोई नहीं -----						
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
42 -Spl	पन्तनगर - किच्छा के मध्य किमी० सं० 56/3-4	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
43B -C	पन्तनगर - किच्छा के मध्य किमी० सं० 57/12-13	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-1' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों किच्छा तथा लालकुआ से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
टेलीफोन युक्त डायडो टाइप टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र एक्सल आउन्टर के साथ किच्छा तथा लालकुआ स्टेशनों से समान प्रकार के ब्लाक यन्त्र के साथ अलग-अलग सम्बन्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।

(सहायक नियम 14.02(v) साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें।

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :

4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

पन्तनगर स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है।

प्रदत्त सिगनल :

(क) अप आगमन सिगनल (किच्छा से)

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए 14 - होम सिगनल संख्या S 14 के संकेतों पर आधारित अप होम सिगनल संख्या S 14 निम्नलिखित संकेत प्रदर्शित करता है :-
- (ii) अप होम सिगनल संख्या S 14 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) अप होम सिगनल संख्या S 14 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये बाँया जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) अप होम सिगनल संख्या S 14 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये पहला दौया जं० इंडिकेटर सहित
- (v) अप होम सिगनल संख्या S 12 - लूप लाइन संख्या 4 के लिये दूसरा दौया जं० इंडिकेटर सहित

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (लालकुआ को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या S 6 - लूप लाइन संख्या 1 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या S 4 - मेन लाइन संख्या 2 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या S 8 - लूप लाइन संख्या 3 से
- (iv) अप प्रस्थान सिगनल संख्या S 10 - लूप लाइन संख्या 4 से
- (v) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या S 2 - लालकुआ साइड के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(ग) डाउन आगमन सिगनल (लालकुआ से)

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल A1 - होम सिगनल संख्या S 1 के संकेतों पर आधारित डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - निम्नलिखित संकेत प्रदर्शित करता है :-
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये दाहिना जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये पहला बाँया जं० इंडिकेटर सहित
- (v) डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - लूप लाइन संख्या 4 के लिये दूसरा बाँया जं० इंडिकेटर सहित

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

(घ) **डाउन प्रस्थान सिगनल (किच्छा को)**

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S 7 - लूप लाइन संख्या 1 से
(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S 5 - मेन लाइन संख्या 2 से
(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S 9 - लूप लाइन संख्या 3 से
(ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S 11 - लूप लाइन संख्या 4 से
(iv) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या S 13 – **किच्छा** साइड के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

अतिरिक्त सिगनल :-

- (i)
- कालिंग आन सिगनल :-**

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-12	अप होम सिगनल संख्या एस-14 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह किच्छा साइड से लाइन सं० 1, 2, 3 अथवा 4 में आने के लिये है
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3	डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह लालकुआ साइड से लाइन सं० 1, 2, 3 अथवा 4 में आने के लिये है

- (ii)
- शन्ट सिगनल :-**

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से लालकुआ छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से लालकुआ छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 28	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8	लाइन सं० 3 से लालकुआ छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 30	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 10	लाइन सं० 4 से लालकुआ छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से किच्छा छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 13 तक शंटिंग के लिये
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से किच्छा छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 13 तक शंटिंग के लिये
एस एच 29	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9	लाइन सं० 3 से किच्छा छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 13 तक शंटिंग के लिये
एस एच 31	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 11	लाइन सं० 4 से किच्छा छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 13 तक शंटिंग के लिये

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण
एस एच 33	लालकुआ छोर पर लाइन सं० 1, 2, 3 या 4 में शंटिंग के लिये आने हेतु
एस एच 34	किच्छा छोर पर लाइन सं० 1, 2, 3 या 4 में शंटिंग के लिये आने हेतु

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

- 4.1.1(क) **स्टेशन मास्टर पैनल :-** सभी कॉटों एवं सिगनल एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। कॉटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त है।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।
- (ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन इंडिकेटर दिये गये हैं। जँक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रुट इंगित करेगीं।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" स्थिति से नियन्त्रित है।
- (ङ) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, के द्वारा पैनल पर नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, तब यह विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।
- (च) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरा आस्पैक्ट पर तथा लूप लाइन के 'पीला' आस्पैक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।
- 4.1.2 **कॉटा पुश बटन :-** स्टेशन मास्टर के पैनल के दोनों सिरों पर कॉटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटों के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। कॉटों को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू० एन० (NWWN) पुश बटन तथा रिवर्स स्थिति में करने के लिये कॉटे के बटन के साथ आर०डब्लू०डब्लू०एन० (RWWN) पुश बटन दबाना होगा। कॉटों का अलग-अलग संचालन गाड़ी को कालिंग आर सिगनल पर आगमन कराने के समय किया जायेगा।

- 4.1.3 **ट्रैक सर्किटिंग :-** परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3 तथा 4 ट्रैक सर्किटेड है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के ट्रैक सर्किटेड भाग को अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब ट्रैक सर्किटेड भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म 'लाल' प्रकाश तथा रिक्त होने पर 'सफेद' प्रकाश प्रकाशित होगा। इन ट्रैक सर्किटेड का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। ट्रैक सर्किटेड की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा ट्रैक सर्किटेड भाग के रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।
- 4.1.4 **पुश बटन रिमाइण्डर कालर :-** पुश बटन रिमाइण्डर कालर पैनल के एक स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या काँटा या रूट बटन के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचालन को रोकना हो तो इन कालरों को पुश बटनों के ऊपर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पुश बटनों को दबाया नहीं जा सकता।
- 4.1.5 **सिगनल बटन :-** पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है, जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल 'आफ' करने हेतु जिस सिगनल को 'आफ' करना है, उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है अथवा भेजना है, उस लाइन के रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल 'आफ' हो जायेगा।
- 4.1.6 **रूट बटन :-** पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल 'आफ' किया जाना है, उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटनों का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल 'आफ' हो जायेगा।
(स्टेशन पैनल पर प्रदत्त अन्य बटनों के संचालन के लिये परिशिष्ट 'ख' में दिये गये विवरण को देखा जाय।)
- 4.2 **स्थायी रूप से ताला बन्द कॉर्टे/पृथक्करण (आइसोलेशन) :**
यहाँ स्थायी रूप से ताला बन्द कॉर्टे नहीं है।
- 4.3 **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डिल :**
- (क) लालकुआ छोर पर काँटा संख्या- 201A-201B, 202A-202B, 203-203X तथा किच्छा छोर पर काँटा संख्या 204A-204B, 206A-206B, 205-205X मोटर चालित कॉर्टे है तथा प्रत्येक कॉर्टे पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। सामान्यतः ये कॉर्टे स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैन्क हैण्डिल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इन कॉर्टे को सही ढंग से सेट होना एवं जहाँ आवश्यक हो लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है। इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रैन्क हैण्डिल संख्या	क्रैन्क हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित कॉर्टे विवरण
सी०एच० - 1	लालकुआ छोर पर काँटा सं- 201A - 201B, 202A - 202B,
सी०एच० - 2	लालकुआ छोर पर काँटा सं० - 203-203X
सी०एच० - 3	किच्छा छोर पर काँटा सं० - 204A - 204B, 206A - 206B,
सी०एच० - 4	किच्छा छोर पर काँटा सं० - 205-205X

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/52

पन्तनगर

क्रैक हैण्डल के प्रचालन हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट “ख” के पैरा 7 में वर्णित विधि तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

- (ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैक हैण्डल चाबी द्वारा परिचालित काँटों को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम संख्या	क्रैक हैण्डलचाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैक हैण्डल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैक हैण्डल निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैक हैण्डल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.4 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पद्धति :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.5 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये स्टेशन पर आई०पी०एस०(Integrated Powe Supply) की व्यवस्था है। विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर दो जनरेटर की व्यवस्था की गयी है।

4.6 **वीडर काउन्टर :-**

पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर का प्रावधान है जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (EUYN)
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर।
4. सिगनल को 'आफ' से 'आन' करने के लिये वीडर काउन्टर (EGGN)।
5. आपात्कालीन काँटा संचालन के लिये वीडर काउन्टर (EWN)
6. क्रैक हैण्डल वीडर काउन्टर
7. ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर दोनो ओर के लिये अलग- अलग
8. एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर दोनो ओर के लिये अलग- अलग

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। हर बार वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी संख्या को कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका में तथा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की प्रविष्टि स्टेशन डायरी में सुनिश्चित किया जाय।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

क्रैंक हैण्डल के प्रचालन हेतु सिगनलिंग परिशिष्ट “ख” के पैरा 7 में वर्णित विधि तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39(ii) देखें।

- (ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैण्डल चाबी द्वारा परिचालित काँटों को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम संख्या	क्रैंक हैण्डलचाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डल निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैंक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.4 रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.5 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये स्टेशन पर आई०पी०एस०(Integrated Powe Supply) की व्यवस्था है। विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर दो जनरेटर की व्यवस्था की गयी है।

4.6 वीडर काउन्टर :-

पैनल पर निम्नलिखित वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (EUYN)
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर।
4. सिगनल को 'आफ' से 'आन' करने के लिये वीडर काउन्टर (EGGN)।
5. आपात्कालीन काँटा संचालन के लिये वीडर काउन्टर (EWN)
6. क्रैंक हैण्डल वीडर काउन्टर

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर काउन्टर प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च संख्या सम्बन्धित वीडर काउन्टर पर उभरती हैं। हर बार वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी संख्या को कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका में तथा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की प्रविष्टि स्टेशन डायरी में सुनिश्चित किया जाय।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/52

पन्तनगर

5. **दूर संचार:**— स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त है:—

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस.एन०एल० फोन
- iii) किच्छा स्टेशन टोकेनलैस ब्लॉक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) लालकुआँ स्टेशन के टोकेनलैस ब्लॉक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) इंजी० समपार फाटक सं० 46/स्पेशल (पन्तनगर—किच्छा) से सम्बद्ध टेलीफोन
- vi) इंजी० समपार फाटक सं० 47/सी (पन्तनगर—किच्छा) से सम्बद्ध टेलीफोन
- vii) वी०एच०एफ०सैट

(संचार ब्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट "ख" का पैरा 11A देखें)

6. **गाड़ी संचालन की प्रणाली:**—

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक कनियम 3.37 से 3.40, 3.42, 3.42, 8.03(2), 8.10 एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

1) **गाड़ियों का आगमन :-**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चालिये कि :-

(क) जाँचें कि वॉछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।

(ख) वॉछित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, वह साफ एव बाधा रहित है।

लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-

i) अप गाड़ी लाइन संख्या 1, 3 या 4 पर लेते समय सैण्ड हम्प तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1, 3 या 4 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 तक।

ii) डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1, 3 या 4 पर लेते समय सैण्ड हम्प तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1, 3 या 4 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-13 तक।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगाकर घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।

(घ) आने वा गाड़ी के लिये वॉछित रुट लगाने तथा होम सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम के साथ संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार सिगनल बटन एवं रुट बटन एक साथ दबायें। सिगनल के रुट में पड़ने वाले कांटें स्वतः सैट हो जायेंगे तथा सिगनल "आफ" हो जायेगा।

(ङ) सिगनल के रुट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर बत्तियाँ जल जायेगी।

(के०एस०सोनाल)
मं परि०प्रबन्धक/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

5. दूर संचार :- स्टेशन मास्टर के कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं -

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) किच्छा स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- iv) लालकुआ स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन
- v) इंजी० समपार फाटक सं० 42/स्पेशल (पन्तनगर-किच्छा) से सम्बद्ध टेलीफोन
- vi) इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 43B/सी (पन्तनगर -किच्छा) से सम्बद्ध टेलीफोन
- vii) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03(2), 8.10, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) **गाड़ियों का आगमन :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख). वाँछित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, वह साफ एवं बाधा रहित है।

लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए :-

- (i) अप गाड़ी लाइन संख्या 1, 3 या 4 पर लेते समय सैण्ड हम्प तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1, 3 या 4 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 तक।
- (ii) डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1, 3 या 4 पर लेते समय सैण्ड हम्प तक अथवा लाइन संख्या 2 पर तथा 1, 3 या 4 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-13 तक।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगाकर घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) आने वाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा होम सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम के साथ संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन एवं रूट बटन एक साथ दबायें। सिगनल के रूट में पड़ने वाले काँटें स्वतः सैट हो जायेंगे तथा सिगनल 'आफ' हो जायेगा।
- (ङ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/52

पन्तनगर

- (च) स्टेशन पैनल पर देख लें कि काँटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित काँटों के सैट की स्थिति में काँटें लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख ले कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है, वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझ कर लाल बत्तियाँ जल जाती है तथा जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार करती है, लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ जल जाती हैं।
- (झ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाने के बाद पीछे के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें तथा कासिंग में दोनो ओर के कांटे विपरीत सेट करें इसके बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

नोट :- ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को सैट करने के लिये साधारण एवं सहायक नियम 5.19 के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा एक्सल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, एवं काँटा वाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली के अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

- (च) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों के सैट की स्थिति में कॉटों लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख ले कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे-जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है, वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझ कर लाल बत्तियाँ जल जाती है तथा जैसे-जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार करती है, लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं ओर सफेद बत्तियाँ जल जाती हैं।
- (झ) गाड़ी का पूर्ण आगमन तथा कॉटों एवं उल्लघन चिन्हों को साफ करके अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दे। तत्पश्चात पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- नोट :-** ब्लाक लाइन के विरुद्ध कॉटों को सैट करने के लिये साधारण एवं सहायक नियम 5.19 के अनुसार कार्यवाही की जाये तथा एक्सल काउन्टर की विफलता में की जाने वाली कार्यवाही के लिये सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, एवं काँटा वाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली के अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

6.2. लाइन क्लीयर देने की शर्त:-

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 46/ स्पेशल तथा 47/सी गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधारण एवं सहा० नियम 8.03 (2)(क) (ख) (ग) तथा सहा०नियम 8.03 (i),(ii), (iii), (iv), (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्त:-

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध कॉटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रॉसिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के कॉटे अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें।

(साधारण एवं सहा० नियम 5.19(1) (a) (ii) (b) (ii) (2) (5) (i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1) (a), (b) (c), (2) (c), (3)(a)(b)(i) तथा सहा०नियम 5.09(1) (a), (b), (c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- कोई नहीं।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं।

6.3. आगमन सिगनलों को "आफ" करने की शर्त:-

- (क) जिस परिचालित लाइन पर गाड़ी को लेना है, वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उलब्ध हो।
- (ख) मार्ग में पड़ने वाले सभी सम्मुख कॉटे वाछित लाइन के लिये सैट और लाक हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, वह अनुमुख कॉटों के आगे पर्याप्त दूरी तक अर्थात् अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित ट्रैक पर क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 42/स्पेशल तथा 43B/सी के गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें।
(साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :- कोई नहीं।**6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना :- कोई नहीं।****6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :**

- (क) जिस परिचालित लाइन पर गाड़ी को लेना है, वह साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) मार्ग में पड़ने वाले सभी सम्मुख काँटों वॉछित लाइन के लिये सेट और लाक हों।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, वह अनुमुख काँटों के आगे पर्याप्त दूरी तक अर्थात् अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित ट्रैक पर क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।

6.3.1 “आफ” किये गये सिगनल को पुनः “आन” करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन/ प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति है।

(ख) गाड़ियों का आगमन / प्रस्थान / क्रासिंग निम्न प्रकार कराया जा सकता है :-

(i) अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
तथा

डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3 या 4 पर आगमन

(ii) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
तथा

अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 या 4 आगमन

(ग) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है। (साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एलवी बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है

(ख) रुकने वाली गाड़ियों के संबंध में वह गार्ड से इस उद्देश्य हेतु कार्यरत कौटावाला द्वारा भेजी गयी पूर्ण आगमन पुस्तिका (ट्रेन इन्टैक्ट रजिस्टर) के निर्धारित प्रपत्र टी/1410 पर पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। इसके बाद गार्ड गाड़ी के सम्पूर्ण आ जाने का संकेत देने के लिए कार्यरत स्टेशन मास्टर को दिन में हरी झण्डी तथा रात में हरी बत्ती हिलाकर सिगनल देगा या गार्ड का हैण्ड सिगनल मिल जाने पर स्टेशन मास्टर लाइन बन्द कर देगा परन्तु जिस ब्लाक स्टेशन से गाड़ी अभी आयी है, उस स्टेशन को न तो लाइन क्लीयर देगा और न ही उस स्टेशन से लाइन क्लीयर लेगा जब तक कि रजिस्टर वापस न मिल जाये और अपने आपको यह आश्वस्त न कर ले कि गार्ड द्वारा गाड़ी का सम्पूर्ण आने का प्रमाणपत्र दे दिया गया है।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.17 देखें ।)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :

- (क) अगले ब्लाक स्टेशन से टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्युपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगाकर घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 46/ स्पेशल तथा गेट सं० 47/सी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित करें।
- (ङ) जाने वाली गाड़ी के लिये वॉछित रुट लगाने तथा सिगनल "आफ" करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट "ख" के अनुसार सिगनल बटन एवं रुट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रुट में पड़ने वाले कॉटे स्वतः सैट हो जायेंगे तथा सिगनल "आफ" हो जायेंगे।
- (छ) सिगनल के रुट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सूक्ष्म सफेद बत्ती जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों सैट होने की स्थिति में विद्युतीय रूप से लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का "आफ" आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करें।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे-जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुँचती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझ कर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं। जैसे-जैसे गाड़ी इन ट्रैक सर्किटों को पार करती जाती है, वैसे-वैसे लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ फिर से जल जाती हैं।
- (ट) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा कॉटों एवं उल्लघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।
- (ठ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज हो जाने पर परिचालित लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) अगले ब्लाक स्टेशन से टोकनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटेड भाग के लिये ट्रैक आक्युपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाकर घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 42/स्पेशल तथा गेट सं० 43B/सी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेशों के अनुसार सूचित करे।
- (ङ) जाने वाली गाड़ी के लिये वॉछित रूट लगाने तथा सिगनल 'आफ' करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन एवं रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कॉटों स्वतः सैट हो जायें तथा सिगनल 'आफ' हो जायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितियाँ जल जायेगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि कॉटों के निकट सूक्ष्म सफेद बलितियाँ जल गयी है जो सम्बन्धित कॉटों सैट होने की स्थिति में विद्युत्तरय रूप से लाक होने की सूचक है। इसके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का 'आफ' आस्पैक्ट भी पैनल पर आ गया है। इसके पश्चात अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करे।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे-जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुँचती है वैसे-वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बलितियाँ बुझ कर लाल बलितियाँ जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल 'आन' हो जाते हैं। जैसे-जैसे गाड़ी इन ट्रैक सर्किटों को पार करती जाती है, वैसे-वैसे लाल बलितियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बलितियाँ फिर से जल जाती है।
- (ट) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा कॉटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया गया है, कॉटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।
- (ठ) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ हो जाने पर परिचालित लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक 17.10.12 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/52

पन्तनगर

6.6(i) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :-

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध है।
- (घ) डाउन गाड़ी के लिये गेट संख्या 46/ स्पेशल तथा गेट सं० 47/सी पर कार्यरत गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया हो।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7 गाड़ियों का बिना सीधे जाना (रन-थ्रू) :-

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) लूप लाइन संख्या 1, 3 एवं 4 से कोई गाड़ी बिना रुके सीधे जा सकती है। इस स्थिति में प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत तभी धारण करेगा जब गाड़ी बर्थिंग ट्रेक पर आ जायेगी।
- (ग) स्टेशन से सीधे जाने वाली गाड़ी को अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाये और साधारण एवं सहायक नियम 5.23 के अनुसार बराबर वाली लाइनों पर किसी भी वाहन/वैगन जो बिना इंजन के हों, या इंजन से अलग हों, वे सामान्य नियम 5.23 के अनुसार अवश्य सुरक्षित होना चाहिए।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिए जो गाड़ी कू को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा भी आफ साइड से संचलन की चौकसी की जानी चाहिए। इस प्रकार के संकेत को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झण्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये। सहायक नियम 5.01 (5) (i) (vi) देखें।
- (ङ.) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तब कोई गाड़ी प्लेटफार्म लाइन से बिना रुके सीधे नहीं जायेगी।

(सहायक नियम 5.01 (14) (iv), 4.10(क) (ख) (ग) साधारण एवं सहायक नियम 4.11, 5.01 (5) देखें)

6.6(i) प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें :

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित साफ संकेत उपलब्ध है।
- (घ) डाउन गाड़ी के लिये गेट संख्या 42/स्पेशल एवं गेट सं० 43B/सी पर कार्यरत गेट मैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित कर दिया गया हो।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अर्न्तगत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3 एवं 4 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।
- (ख) लूप लाइन संख्या-1, 3 एवं 4 से कोई गाड़ी बिना रुके सीधे जा सकती है। इस स्थिति में प्रस्थान सिगनल "आफ" संकेत तभी धारण करेगा जब गाड़ी बर्थिंग ट्रेक पर आ जायेगी।
- (ग) स्टेशन से सीधे जाने वाली गाड़ी को अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाये और साधारण एवं सहायक नियम 5.23 के अनुसार बराबर वाली लाइनों पर किसी भी वाहन / वैगन जो बिना इंजन के हों, या इंजन से अलग हों, वे सामान्य नियम 5.23 के अनुसार अवश्य सुरक्षित होना चाहिए।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को 'आगे बढ़ो' संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिए जो गाड़ी कू को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा भी आफ साइड से संचालन की चौकसी की जानी चाहिए। इस प्रकार के संकेत को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झण्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये। सहायक नियम 5.01(5)(i)(vi) देखें।
- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तब कोई गाड़ी प्लेटफार्म लाइन से बिना रुके सीधे नहीं जायेगी।

सहायक नियम 5.01(14)(iv), 4.10 (क)(ख)(ग) साधारण एवं सहायक नियम 4.11 5.01 (5) देखें।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख तथा अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन व रात में अनवरत जलाये जाये। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। यदि लाइन क्लियर देते समय सिगनलों का प्रकाशित होना सम्भव न हो सके तो साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 में उल्लिखित कार्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लियर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य ही किया जाय।

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरुद्ध होना

कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाये तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा—

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लिखेगा तथा गाड़ी नियंत्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
2. उन लाइन से संबंधित काँटे विपरीत सेट करेगा।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख तथा अनुमुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राईवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन व रात में अनवरत जलाये जाये। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों का प्रकाशित होना सम्भव न हो सके तो साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 में उल्लिखित कार्य विधि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, अतः ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य ही किया जाय।

साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लिखेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटों विपरीत सैट करेगा।

3. चार्ज सौपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यमुक्त करने वाली स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्य पर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाये तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाडी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।)

7.1 स्टेबुल वाहन/वाहनों/लोड की सिक्थोरिंग –

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनों/लोड द्वारा अवरुद्ध की जाये तो, स्टेशन पर खड़े वाहनों (Stabled load) के संबंध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनों को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशों के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनों/लोड को दोनो छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बांध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर कम से कम लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जायें।

(i) सभी वाहनों के साथ प्रदत्त ब्रेकों को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनों को अवश्य जोड़ा जाये। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनों का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनों के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वाहन है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनों के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगे। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरों का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये हैं और वे समतल पर भी लुढक सकते हैं। ये स्टाक खड़ा करके भी 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढकने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बों के 133 में 1 की ढलान पर लुढकने का खतरा रहता है। इन वैगनों को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनों पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। (वाहन/वाहनों/लोड की सिक्थोरिंग नियम अनुरूप कर दिया गया है इसकी पुष्टि में गाड़ी नियंत्रक से प्राइवेट नम्बर का अदान-प्रदान करके टीएसआर तथा सिक्थोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।)

टिप्पणी :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण हैं। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनों के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहनधवाहनो धलोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक सेफ्टी चेन से बौंध दिया जाय तथा लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जायें।
- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खाडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

टिप्पणी :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
- (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
- (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।

- (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये। साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 - सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
 - चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित T-806 पर दी जाय।

(ख) प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग : निम्न शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
- सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- चालक को शन्टिंग आदेश देने के साथ-साथ शन्टिंग चाबी भी दिया जाना चाहिये।

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 - होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों।
 - सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 - गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय।

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों।
- होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो।

- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
v) लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति T-806 पर तथा भान्टिंग चाभी भी दी जाय ।

8.4.1. **शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :**

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद शन्टिंग की अनुमति नहीं है। साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. **शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :**

(क) **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखाना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii)) देखें ।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :** कोई नहीं।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि :-** कोई नहीं।

9. **असामान्य परिस्थितियाँ :**

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :**

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये । (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

- iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
v) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु ब्लाक बैक करके लिखित अनुमति दी जाय।

8.4.1. **शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :**

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद शन्टिंग की अनुमति नहीं है।
साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. **शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :**

(क) **शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**

1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii)) देखें ।

8.5. **स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :** कोई नहीं।

8.6. **बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि :-** कोई नहीं।

9. **असामान्य परिस्थितियाँ :**

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :**

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

- (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेंगे।
 - (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
 - (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जायेगा।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनो के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड काँटों पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

4(क) क्रेन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-

परिशिष्ट 'ख' के पैरा 8 व 9 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

4(ख) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-

ट्रैक सर्किट / एक्सल काउन्टर के खराब होने पर कॉलिंग आन सिगनल आफ करने से पूर्व वांछित मार्ग जिस पर गाड़ी को गुजरना है, का सत्यापन कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वतः किया जायेगा।

4(ग) काँटों, ट्रैक सर्किट/ एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :

संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 12 को देखें।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन अथवा बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सेट

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को “आन” स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2.	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ी/गाड़ियों के लिए ‘सशर्त लाइन क्लीयर संदेश’ प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अन्तिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार ‘सशर्त लाइन क्लीयर टिकट’ प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रारस्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

9.4. विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध आई०पी०एस० सिस्टम द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।
- (ख) आई०पी०एस० बोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले इंडिकेशन एवं उनका विवरण तथा विफलता के समय अपनायी जाने वाली विधि का विस्तृत विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में देखें। कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नखित पंजिकाओं में आवश्यक प्रविष्टियों की जायें। -

प्रारूप

1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम सं०	तिथि	IPS चाजिंग का समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
-------------	--------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------	---------

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

(क) अप छोर :

दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या S-4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) डाउन छोर :

दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या S-5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।

12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका मे अलग से तैयार की जायेगी ।

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन

परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति

परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य

परिशिष्ट "ङ" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर

परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र (सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

- कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-
1. यार्ड, काँटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।
2. काँटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काँटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. यदि आवश्यक हो, तो अनुमुख काँटों के पास रहकर रक्षित करना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में काँटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-

- i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- जब कॉटों, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते है, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

(के०एस०सोनाल)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

1. हाथ सिगनल बत्ती - 03 बैट्री आपरेटेड
2. हाथ सिगनल झण्डी - 05 हरी तथा 6 लाल
3. पटाखा सिगनल - 50
4. सुरक्षा जंजीरे - 04 तालो सहित
5. क्लैम्प - 08 तालो सहित
6. प्राथमिक चिकित्सा बाक्स - 01
7. फायर बकेट - 06
8. अग्निशामक यन्त्र - 02
9. लकड़ी के गुटके - 04

(के०एस०सोनाल)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर